

कार्यालय: अधीक्षण अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, मेरठ परिमण्डल, मेरठ।
पत्रांक 696 / ग्रा0अ0वि0 / एस0टी0 / प0सं0-197 / ठेके0पंजी / 2019-20, दि0 19-7-2019

—:: कार्यालय-आदेश ::—

इस कार्यालय के आदेश पत्रांक 550 / ग्रा0अ0वि0 / एस0टी0 / प0सं0-197 / ठेके0पंजी0 / 2017-18 दिनांक 12.07.2017 द्वारा मै0 चौधरी सन्दीप कान्द्रेक्टर एण्ड सप्लायर (प्रो0 श्री सन्दीप कुमार पुत्र श्री सोहनवीर सिंह) निवासी-ग्राम-अखत्यारपुर, पो0-दौराला, जिला-मेरठ का "सी" श्रेणी में किये गये पंजीकरण संख्या-197 / 2015-16 के नवीनीकरण हेतु सम्बन्धित ठेकेदार द्वारा शासनादेश संख्या-3460 / 23-7-08-41 एम0एस0ए0 / 54टी0सी0-III दिनांक 28.7.2008 के अनुसार आवश्यक कागजात प्रस्तुत किये जाने के फलस्वरूप इनके पंजीकरण की वैधता 30.6.2021 तक के लिए बढ़ाई जाती है तथा तत्पश्चात वैधता स्वतः ही समाप्त समझी जायेगी।

उक्त फर्म के हैसियत प्रमाण पत्र की वैधता दि0 31-05-2020 एवं चरित्र प्रमाण पत्र की वैधता दिनांक 05.09.2021 तक है, जिनकी निरन्तरता / वैधता बनाये रखने का दायित्व संबंधित फर्म का होगा, चरित्र / हैसियत प्रमाण पत्र की वैधता उक्त निर्धारित समय से पूर्व न बढ़ पाने की स्थिति में पंजीकरण स्वतः निरस्त समझा जायेगा

(रवि शर्मा)
आशु लिपिक
(अजय सिधंल)
अधीक्षण अभियन्ता,

पत्रांक एवं दिनांक उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1- मै0 चौधरी सन्दीप कान्द्रेक्टर एण्ड सप्लायर (प्रो0 श्री सन्दीप कुमार पुत्र सोहनवीर सिंह) निवासी-ग्राम-अखत्यारपुर, पो0-दौराला, जिला-मेरठ।
- 2-समस्त अधिशसी अभियन्ता,ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, परिमण्डल, मेरठ।

Rew
Ajeet

(रवि शर्मा)
आशु लिपिक
अधीक्षण अभियन्ता,
ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग,
मेरठ परिमण्डल, मेरठ।